

18.10.2023

आवेदक द्वारा अधिवक्ता श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
उपस्थित।

अनावेदिका अनिर्वहित।

प्रकरण अनावेदिका की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
ने उपस्थित होकर मौखिक रूप से निवेदन किये कि वह प्रकरण
पर बल नहीं देना चाहते हैं। इस संबंध में आवेदक के
अभिभाषक द्वारा उक्त आशय की टीप आदेश पत्रिका के रिमार्क
कॉलम में अंकित की गई।

आवेदक अभिभाषक श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह का निवेदन
उचित होने से स्वीकार किया गया।

अतः आवेदक के किये गये निवेदन को स्वीकार कर
आवेदक का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम
खारिज/निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर समयावधि के
भीतर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—

(संतोष चौहान)

अपर जिला न्यायाधीश सिरमौर,
जिला रीवा, म.प्र.